(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/0116 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 352/अपील/2015-16.

---

1. कुमकुम साड़ी सेंटर एवं पार्वती क्रियेशन
   द्वारा कन्हैयालाल आत्मज धर्मदास
   निवासी पुरानी सब्जी मण्डी के सामने
   संत हिरदाराम नगर, भोपाल
2. सिमरन साड़ी सेंटर एवं
   वंशिका एवं आशीर्वाद गारमेंट्स
   द्वारा वंशिका आत्मज रमेश आसवानो
   निवासी पुरानी सब्जी मण्डी के सामने
   संत हिरदाराम नगर, भोपाल
3. शिखा क्रियेशन द्वारा अनिल आसवनी
   निवासी पुरानी सब्जी मण्डी के सामने
   संत हिरदाराम नगर, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, भोपाल
2. अनुविभागीय अधिकारी
   बैरागढ़ वृत्त भोपाल .....अनावेदकगण

श्री नागेश्वर राव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसील न्यायालय, नजूल बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन पस्तुत किया गया कि ग्राम बेहटा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे नम्बर 18/1/1 रकबा 8.029 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 28 राजस्व अभिलेख में रिहेवलीटेशन म.प्र. शासन दर्ज है, जिस पर सात दुकानों मालिकों द्वारा निर्धारित रकबे से अधिक निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है । नायब तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-68/13-14 दर्ज कर दिनांक 27-6-15 को आदेश पारित कर आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर, शासकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण एवं अन्य दो द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-11-15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24-11-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष विधि एवं तथ्य के प्रश्न उठाये थे, जिस पर अपर आयुक्त ने बिना विचार किये आदेश पारित किया है, जो कि विधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा जब कोई अतिक्रमण ही नहीं किया गया है, तब अतिक्रमण को स्वीकार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कभी भी अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया गया है, अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपील में इस बिन्दु को भी उठाया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि केन्द्रीय शासन की भूमि होकर पाकिस्तान से विस्थापित होकर बैरागढ़ में बसे सिंधी समाज के व्यक्तियों को आबंटित की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं कर अतिक्रमण मानने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि की नोईयत रिहेवीटेशन (पुनर्वास) की भूमि है, जिसको आबंटित करने के लिए कस्टोडियान डिपार्टमेंट बना

था, अतः केन्द्रीय सरकार की भूमि पर म.प्र. शासन को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । इस विधिक बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि इसी वाद बिन्दु से संबंधित प्रकरण क्रमांक 70/अपील/14-15 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28-11-2015 के विरूद्ध परिधान साड़ी सेंटर एवं अन्य द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-8-2016 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, किन्तु आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी पक्षकार के विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण प्रस्तुत होता है तो अतिक्रमण सिद्ध करने का भार शासन पर होता है । इस संबंध में आवेदकगण द्वारा न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध सड़क पर अतिक्रमण का प्रकरण बनाया है, पट्टे की भूमि का नहीं । अतः इस संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । तहसील न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाया गया है । स्वयं आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना स्वीकार किया है । उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर, प्रश्नाधीन शासकीय भूमि से बेदखल करने के संबंध में पारित आदेश पूर्णतः उचित है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें, दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निरस्त कर, तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर